UPSI010019102026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सीतापुर।
उपस्थित : आशीष जैन, एच.जे.एस.
जमानत प्रार्थनापत्र सं0 357/2026
सी.आई.एस. नं.–833/2026

सुभाष आयु 26 वर्ष पुत्र ललतू निवासी ग्राम कुसावत ग्रण्ट मजरा कुमाऊ ग्रंट थाना मछरेहटा जिला सीतापुर। आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार। अभियोजक।

मु0अ0सं0: 352/2026
धारा : 352,118(1),64,351(3) बी.एन.एस
थाना : मछरेहटा
जिला : सीतापुर

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

मु0अ0सं0 352/2025 अर्न्तगत धारा 352,118(1),64,351(3) बी.एन.एस थाना मछरेहटा जिला सीतापुर से सम्बन्धित आवेदक/अभियुक्त सुभाष की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र पर विद्वान अधिवक्ता आवेदक/अभियुक्त व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) के तर्को को सुना एंव पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक् रूप से परिशीलन किया।

जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ शपथकर्ता राजू द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न तो इस न्यायालय के समक्ष और न ही माननीय उच्च न्यायालय में दिया गया है और न ही विचाराधीन है और न निरस्त हुआ है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 173 (4) बी.एन.एस.एस. के अनुसार इस प्रकार है कि दिनांक 19.10.2025 समय सुबह लगभग 11.00 बजे प्रार्थिनी अपने मायके ग्राम कुसावत ग्रन्ट कुमाऊ में अकेली थी। विपक्षी प्रार्थिनी के घर में घुस आया और प्रार्थिनी का हाथ पकड़कर छेड़छाड़ करते हुए कमरे के अन्दर खींच ले गया और चारपाई पर गिराकर प्रार्थिनी के साथ बुरा काम करने लगा। जब प्रार्थिनी ने शोर मचाने का प्रयास किया तब विपक्षी ने प्रार्थिनी की गर्दन पर चाकू से वार करते हुए कहा साली शोर मचाओगी तो तुझे जान से मार देंगे तथा गर्दन पर चाकू से वार कर दिया, जिससे प्रार्थिनी की गर्दन पर घाव हो गया। उक्त प्रार्थनापत्र पर सम्बंधित न्यायालय से पारित आदेश के अनुपालन में मुकदमा पंजीकृत किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत के संबंध में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है तथा उसे उपरोक्त वाद में झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त पर लगाये गये समस्त आरोप मिथ्या, काल्पनिक व निराधार है। उपरोक्त वाद की वादिनी अवैध शराब का धंधा करती है। प्रार्थी वादिनी के घर पर शराब लेने गया था तभी उसकी शराब को लेकर वादिनी के साथ कहासुनी हो गयी थी। कथित घटना के सम्बन्ध में वादिनी द्वारा एक आई०जी०आर०एस० भी दिया गया था, जिसकी जाँच करते हुए

Digitally signed by Ashish Jain
Date: 2026.04.01 17:29:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court,Stp

थाना पुलिस द्वारा घटना गलत पाई गई थी। प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई भी अपराध कारित नहीं किया है। वादिनी द्वारा उसे गांव की पार्टीबन्दी के कारण झूंठा फंसाया गया है। उपरोक्त आधार पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने की याचना की गयी।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0 द्वारा जमानत का विरोध करते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रथमदृष्टया स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व आरोप है कि उसके द्वारा कथित घटना की दिनॉक व समय पर वादिनी मुकदमा के घर में घुसकर जबरन बलात्कार किया गया एवं वादिनी द्वारा शोर मचाने पर वादिनी की गर्दन पर चाकू से वार करने एवं जान से मारने की धमकी दी गयी। विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य अर्न्तगत धारा 183 बी.एन.एस.एस. में पीड़िता के बयान में '' मै दिनॉक 19.10.2025 को अपने घर (मायके) में अकेली थी सुबह करीब 11.00 बजे सुभाष पुत्र ललतू मेरे घर के अन्दर आ गया और मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया मै चिल्लाने लगी तो उसने कहा कि चिल्लाओगी तो जान से मार दूॅगा।'' का उल्लेख है। ऐसी स्थिति में अपराध गम्भीर प्रकृति का है। प्रस्तुत मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बगैर गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किये आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नही है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त सुभाष द्वारा मु0अ0सं0 352/2026 अर्न्तगत धारा 352,118(1),64,351(3) बी.एन.एस थाना मछरेहटा जिला सीतापुर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक : 01.04.2026

(आशीष जैन)
सत्र न्यायाधीश,
सीतापुर।
J.O.Code-UP -2024

अजीत.